सं० सं०-14/विविध-04/2006-1070 (14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्तियों का प्रत्ययायोजन।

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं० 24/एम 12-01/99 4286 (4) दिनांक 11.12.99 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग की राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा में हुए व्यय रु० 5000/- तक की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नियंत्रण पदाधिकारी प्राधिकृत है। रु० 5000/- से अधिक प्रतिपूर्ति के मामलों में प्रतिपूर्ति की स्वीकृति स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से दी जाती है। इस व्यवस्था से राज्य कर्मियों की प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक कठिनाई भी होती है।

2. इसी प्रकार राज्य से बाहर राज्यकर्मियों को चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम 26 के द्वारा सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग कर, प्राधिकृत चिकित्सा एवं राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सरकारी अस्पतालों में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों (टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई कैंसर रोग के लिए एवं सी०एम०सी० भेलोर, गुर्दा रोग के लिए) में चिकित्सा कराने की स्वीकृति दी जाती है। चिकित्सोपरान्त सरकारी कर्मियों के नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति का राज्यादेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में अत्यधिक समय लग जाता है तथा राशि के अभाव में कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा बाधित होती है।

3. उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस सम्बंध में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

(i) राज्य के अंदर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवकों के नियंत्रण पदाधिकारी को होगा।

(ii) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गई अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव में संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

(iii) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी तथा निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर दो लाख तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति दी जाएगी।

(iv) राज्य के बाहर अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रथमवार चिकित्सा कराने की अनुमति के लिए संबंधित प्रस्ताव में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के निदेशक की अनुशंसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात् प्रत्येक

चेकअप के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को संबंधित बाहरी संस्थान के संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमति प्रदान करेंगे।

(v) राज्य के बाहर अथवा सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा के लिए संबंधित संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर 80 प्रतिशत तक की राशि, अधिकतम दो लाख तक चिकित्सा अग्रिम आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विभाग के सचिव द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। रु० दो लाख से अधिक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् विभागीय सचिव द्वारा दी जाएगी।

(vi) प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी (नियंत्रण पदाधिकारी/विभागीय सचिव) के कार्यालय/विभाग से निर्गत किया जाएगा। अग्रिम से संबंधित स्वीकृत्यादेश संबंधित विभाग से निर्गत किया जाएगा।

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम में होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक के उसी शीर्ष से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन आदि प्राप्त करते हैं। संबंधित शीर्ष के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 0147 चिकित्सा प्रतिपूर्ति से विकलनीय होगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन इकाई में प्राप्त आवंटन में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम की राशि उल्लिखित प्राथमिक इकाई में स्थानांतरित कर प्रतिपूर्ति/विपत्र की निकासी करेंगे। वेतन मद में कुल आवंटित राशि एवं प्रतिपूर्ति इकाई में स्थानांतरिक राशि उपबंधित राशि से अधिक नहीं होगी।

(viii) अग्रिम राशि के सामंजन निकासी के अधिकतम छः माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व के अग्रिम के सामंजन नहीं होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृति नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नहीं होने पर संबंधित सरकारी सेवक को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नहीं होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नहीं करने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्रण पदाधिकारी का होगा।

ह०/-

(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव
स्वा०, पटना, दिनांक 20.05.06

ज्ञापांक-1070(14)

प्रतिलिपि-अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
स्वा०, पटना, दिनांक 20.05.06

ज्ञापांक-1070(14)

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/लोकायुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल, सचिवालय, बिहार/सरकारी के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी अधीक्षक, राजकीय मेडिकल .कॉलेज एवं अस्पताल सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के उप सचिव